

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संस्था)  
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 59, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र. 8139 / एनआर-1 / एमजीएनआरईजीएस-एमपी / 10

भोपाल, दिनांक 19 / 08 / 2010

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक (समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक  
जिला पंचायत (समस्त)  
मध्यप्रदेश

विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत केन्द्र / राज्य शासन की ओर से जारी धनराशि का उपयोग किसी अन्य योजना में न किये जाने बाबत।

संदर्भ : भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 04.08.10

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रदेश के 50 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। योजना क्रियान्वयन के लिए केन्द्र / राज्य शासन की ओर से धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

आपके जिले में क्रियान्वित की जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए उपलब्ध धनराशि का उपयोग किसी अन्य योजना में न किए जाए इस हेतु भारत सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है।

अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि योजनांतर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग योजना के लिए ही किया जावे। इस हेतु लाइन विभाग / संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

( शिव शेखर शुक्ला )  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्र. 8140 / एनआर-1 / एमजीएनआरईजीएस-एमपी / 10

भोपाल, दिनांक 19 / 08 / 2010

प्रतिलिपि -

1. कमिश्नर, संभागायुक्त कार्यालय समस्त संभाग की ओर सादर सूचनार्थ

( शिव शेखर शुक्ला )  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
मुख्यालय, भोपाल

No. J-14024/2/2010-MGNREGA  
Government of India  
Ministry of Rural Development  
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhawan, New Delhi  
Dated the 4<sup>th</sup> August, 2010

To

The Principal Secretaries/ Secretaries  
Department of Rural Development  
All States/UTs

Dear Sir/Madam,

Please refer to this Ministry's letters of even number dated the 14<sup>th</sup> July, 2010 and 10<sup>th</sup> June, 2010 on projects/works/schemes/sub-schemes with state specific/local names. It is reiterated that Mahatma Gandhi NREGA funds should not be used as a substitute for Departmental Plan funds of different departments and agencies. Funds from other programmes for the works permissible under Mahatma Gandhi NREGA can be dovetailed with Mahatma Gandhi NREGA funds but not vice-versa.

2. Projects under Mahatma Gandhi NREGA where other schemes have been converged will bear the name Mahatma Gandhi NREGA and this cannot be substituted by any other name.

3. Under no circumstances, State specific/local names to be given to the projects/works/schemes undertaken under the Mahatma Gandhi NREGS.

4. You are requested to send the action taken report in this regard immediately to this Ministry.

Yours sincerely,

*Satendra Kumar Singh*

(Satyendra Kumar Singh)

*1. NR OK.  
2. Also consider plan in order in regard for consideration by the Min  
a draft  
5 - AUG 2010  
CEO  
NREGS*

*6/8*

*57  
6/8/10/p  
21/CEO*

*(ud)  
गुनवती में  
Ru.  
2.8.10*

